240

347

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

283
10.6.13

COURT FEE INDIA 20 Rs. बीस रुपये TWENTY RUPEES

C.F.Rs.20/-

R-2475-II/13

अभिषेक सिंह तनय स्व.श्री प्रमोद सिंह निवासी राजेन्द्र नगर गली नं.10 तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.......... **निगराकार**

अधिवक्ता श्री रमाकांत त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दिनांक 10.6.2013

बनाम

1–राजन पिता होरिलबा कोटवार

2–शंकर पिता होरिलबा कोटवार

3–छोटेलाल पिता होरिलबा कोटवार

4–ददुआ पिता श्यामलाल कोटवार

5–रामस्वरूप पिता श्यामलाल कोटवार

6–रामपति पिता श्यामलाल कोटवार

7–लोल्ला पिता श्यामलाल कोटवार

8–औसेरिया पुत्री श्यामलाल कोटवार

सभी निवासी ग्राम हिरौंदी तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र.

9–चुन्नी पिता लल्ली काछी साकिन खुटहा तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र.

गैरनिगराकारगण

10–शासन म.प्र....................

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अधीक्षक भूअभिलेख भूप्रबंधन सतना के रा.प्र.कं. <u>8अ12/12–13 आदेश दिनांक12.04.13</u>

<u>अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।</u>

ABSingh

........2

250

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सतना

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2475–दो / 2013

अभिषेक सिंह / राजन कोटवार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एन0 साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू–अभिलेख, भूप्रबंधक के प्रकरण क्रमांक 8 / अ–12 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मझगवां, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	